भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 627
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की संख्या

+627. श्री अनिल फिरोजिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति मिलियन जनसंख्या की तुलना में कितने जज हैं ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने प्रति मिलियन जनसंख्या की तुलना में जजों की संख्या के संबंध में सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आदेश का अनुपालन करने और उक्त प्रयोजन हेतु निधि जुटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 20.39 न्यायाधीश हैं।

(ख) : इम्तियाज अहमद बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य के मामले में, 2012 में, उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से पूछा था कि मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या के वैज्ञानिक निर्धारण के लिए एक पद्धति विकसित की जाए। 245 वीं रिपोर्ट (2014) में, विधि आयोग ने संप्रेक्षण किया कि प्रति व्यक्ति मामलों को फाइल करना सारवान रुप से संपूर्ण भौगोलिक इकाइयों पर निर्भर करता है चूंकि फाइल करना जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से जुड़ा होता है। जैसे कि विधि आयोग ने देश में न्यायाधीश पद संख्या की पर्याप्तता को अवधारित करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक कसौटी नहीं माना। विधि आयोग ने पाया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में डाटा संग्रहण के लिए पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति में, मामलों की बैकलॉग को समाप्त करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग नहीं बनाया गया है,के लिए अपेषित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के लिए "निपटान की दर" पद्धति, अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है।

अगस्त 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और इस संबंध में अपनी

सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। एनसीएमएस समिति ने मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट, में अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षण किया गया है कि लंबी अवधि में, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश पद संख्या प्रत्येक न्यायालय के मामला भार के निपटान के लिए अपेक्षित "न्यायिक घंटे" की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि द्वारा आकलन किया जाना होगा। अंतरिम में, समिति ने "भारित" निपटान दृष्टिकोण अर्थात् स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता से भारित निपटान का प्रस्ताव किया है।

(ग) : उपरोक्त (ख) **:** की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

****